न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/162/2018

उनवान

1. नगजी पुत्र देवा गुर्जर निवासी पुरानी परासोली, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बदनोर जिला भीलवाडा
3. सरपंच, ग्राम पंचायत जगपुरा तहसील बदनोर, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 78/15 (555/2014, 32/2015) निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री संजय सेन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 13.6.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 125 तथा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रायरा तहसील आसीन्द के साबिक आराजी नम्बर 1 रकबा 768 बीघा 18 बिस्वा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किस्म बिलानाम में से वादी को 5 बीघा भूमि का दिनांक 1.1.1986को बमुकाम जगपुरा तहसील आसीन्द पर आलोटमेण्ट कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन किया गया तभी से वादी काबिज काश्त है। आवंटन के पश्चात वादी को आराजी सिपुर्द की जाकर वादी के नाम आवंटन आदेश मिसल क्रमांक 19/86 से जारी किया गया । उक्त आराजी आवंटन आदेश के आधार पर आराजी नम्बर 777/1 रकबा 5 बीघा का गैर खातेदारी से नामान्तरकरण संख्या 413 निर्णित होकर दिनांक 17.5.1993 को दर्ज किया गया तथा वक्त आवंटन से वादी आवंटन सुदा आराजी पर काबिज है। वादी को आवंटन के वक्त बन्दोबस्त विभाग की कार्यवाही जैर रहने से वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हो सका एवं बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिक रेकार्ड के अनुरूप नवीन रेकार्ड में प्रविष्ठि का अंकन नहीं किया गया । बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादी को आवंटित आराजी को बिना सुनवाई का अवसर दिये गलत एवं अवैध ढंग से बिलानाम एवं चरागाह में दर्ज कर दी । बन्दोबस्त विभाग ने अपने अधिकारों से परे जाकर यह कृत्य किया है। उक्त आराजी का इस आधार पर जमाबंदी संवत 2036 से 2039 से भी वादी का नाम दर्ज है । साबिक नक्शा ट्रेश में भी तरमीम शुदा है।

2. तहसील आसीन्द क्षेत्र में हाल ही में नवीन बन्दोबस्त हुआ जिसके अनुसार वादी के नाम आवंटित आराजी को बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से बिना किसी आधार के बिलानाम एवं चरागाह में दर्ज कर उक्त साबिक आराजी नम्बर 152/2037 रकबा 0.70 हे0 आराजी नम्बर 132 रकबा 0.54 हे0, तथा साबिक आराजी नम्बर 1 के उक्त नवीन नम्बर बन्दोबस्त विभाग द्वारा कायम किये गये हैं। बन्दोबस्त ऑपरेशन के दौरान ही वादी को उक्त आराजी आवंटन हुई थी। जिससे बन्दोबस्त विभाग ने वादी के नाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर इन्द्राज नहीं किया जबकि साबिक रेकार्ड के अनुसार नवीन रेकार्ड में 1.08 हे0 आराजी वादी के नाम पर दर्ज होना चाहिये था। बन्दोबस्त विभाग को इस प्रकार वादी की आराजी को बिलानाम एवं चरागाह में दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः बन्दोबस्त विभाग की यह कार्यवाही अवैधानिक होकर वादी के मुकाबले शून्य प्रभावी है। नवीन आराजी नम्बर 152/2037 रकबा 0.70 हे0 आराजी नम्बर 132 रकबा 0.54 हे0,राजस्व रेकार्ड में बिलानाम एवं चरागाह दर्ज है परन्तु उक्त आराजियात पर वादी मौके पर काबिज है। वादी ने आवंटित आराजी के नजराना पट्टा फीस के 2500/—रूपये जरिये चालान नम्बर 145 दिनांक 27.1.1993 को जमा कराये एवं आवंटित आराजी को काबिल काश्त बनाने में हजारों रूपये खर्च किये। प्रतिवादी संख्या 2 वादी के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम धारा 91 के तहत कार्यवाही करने पर आमादा है तथा आवंटित आराजी से बेदखल करने पर उतारू हैं। हाल ही में पटवारी हल्का को उक्त आराजी का लगान जमा कराने के लिए वादी गया तब मालूम हुआ कि आराजी नवीन राजस्व रेकार्ड में बिलानाम व चरागाह दर्ज हो चुकी है । तब वादी ने राजस्व रेकार्ड की नकलें ली । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि होकर आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी है इसलिए वैधानिक नोटिस अन्तर्गत धारा 80 सी पी सी दिया जाना का प्रावधान है लेकिन यह वाद पत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से प्रतिवादीगण को बिना नोटिस दिये एवं मियाद समाप्ति के वास्ते चाहने अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी पेश है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में दावा डिक्री किया जाकर वाके ग्राम रायरा तहसील आसीन्द के नीवन रेकार्ड के आराजी नम्बर 152/2037 रकबा 0.72 हे0,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 132 रकबा 0.54 हे0, मुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हे0 आराजी दुरूस्त कराकर बिलानाम व चरागाह का अंकन हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज कराई जावे एवं वादी के हक में घोषणात्मक डिक्री जारी की जावे। साथ ही बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को अपनी कब्जासुदा आराजी से बेदखल नहीं करें एवं न किसी अन्य प्रकार से हस्तक्षेप करें एवं न अन्य किसी अधीनस्थ कर्मचारी से करावें, तथा किसी प्रकार की अवैध कार्यवाही अमल में नहीं लावें। वादी को शांतिपूर्वक काबिजकाश्त रहने देवें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी / वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त पत्रावली सहायक कलक्टर (एस डी ओ) के यहॉ विचाराधीन थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी, बदनौर के न्यायालय में मुन्तकिल किया गया, किन्तु उक्त पत्रावली अन्य न्यायालय में अन्तरित करने की कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं दी गई एवं उक्त पत्रावली की जानकारी नहीं थी। प्रत्यर्थीगण के प्रतिनिधि दिनांक 30.3.2018 को उक्त वादग्रस्त आराजियात पर आये एवं अपीलार्थी को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी देते हुए कब्जा हटाने की कहा, जिस पर अपीलार्थी ने निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 5.4.2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त होते ही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता दिनांक 21.5.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर उसके साथ पटवारी हल्का जगपुरा की पर्चा मौका की फोटो प्रति प्रस्तुत कर उसे रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम रायरा तहसील आसीन्द हाल बदनोर जिला भीलवाडा की साबिक आराजी नम्बर 1 (एक) रकबा 768 बीघा 18 बिस्वा किस्म बिलानाम में से वादी को 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 1.1.1986 को बमुकाम जगपुरा तहसील आसीन्द हाल बदनोर पर अलोटमेण्ट कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन कर अपीलार्थी को आवंटित आराजी सिपुर्द की व मिशल संख्या 19/86 कायम की गई। उक्त आवंटन आदेश के आधार पर आराजी नम्बर 777/1 रकबा 5 बीघा भूमि गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 413 निर्णित होकर दिनांक 17.5.1993 को दर्ज किया गया तथा वक्त आवंटन से आवटित आराजी पर अपीलार्थी काबिजकाश्त चला आ रहा है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी के आवंटन के उपरान्त बन्दोबस्त विभाग की कार्यवाही जारी रहने से अपीलार्थी के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नहीं हो सका एवं बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिक रिकार्ड के अनुरूप नवीन रिकार्ड में प्रविष्ठि का अंकन नहीं किया गया । बन्दोबस्त विभाग द्वारा अपीलार्थी को आवंटित आराजी बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये गलत व अवैध तरीके से बिलानाम सरकार एवं चारागाह में दर्ज कर दी । भू प्रबन्ध विभाग ने अपने अधिकारों से परे जाकर यह कृत्य किया है जो अवैधानिक होकर गैर कानूनी है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटित आराजी आवंटन के उपरान्त नकल जमाबंदी संवत 2036 से 2039 में अपीलार्थी के नाम पर दर्ज हुई एवं साबिक नक्शा ट्रेश में भी तरमीम की गई है। अपीलार्थी को आवंटित साबिक आराजी नम्बर 1(एक) के हाल आराजी नम्बर 152/2037 रकबा 0.72 है0, आराजी नम्बर 132 रकबा 0.54 है0, कायम किये गये हैं। जिसे राजस्व रेकार्ड में बिलानाम एवं चरागाह दर्ज कर दिया गया है। जबकि नवीन रेकार्ड में 1.08 हेक्टेयर अपीलार्थी के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारो अपीलार्थी की गैर खातेदारी आराजी को बिना किसी कारण व आधार के बिलानाम एवं चरागाह में दर्ज कर दिया गया है । जबकि वादी की आराजी को बिलानाम व चारागाह में दर्ज करने का कोई आधार नहीं है। बन्दोबस्त विभाग की यह कार्यवाही अवैधानिक होकर वादी के मुकाबले शून्य एवं अप्रभावी है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. आवंटन के उपरान्त अपीलार्थी/वादी द्वारा आवंटित आराजी के नजराना (लगान) पट्टा फीस के 2500/—रूपये चालान नम्बर 145 दिनांक 27.1.1993 द्वारा जमा कराये गये एवं आवंटित आराजी को काबिल काश्त बनाने के लिए हजारों रूपये व शारीरिक श्रम लगाया है। अपीलार्थी को आवंटन के उपरान्त जिस स्थान पर कब्जा सिपुर्द किया गया उसी स्थान पर अपीलार्थी काश्त करता चला आ रहा है। राजस्व एजेंसी का दायित्व था कि खातेदार के कब्ज व आवंटन अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करें । राजस्व नक्शे में गलती का खामियाजा अपीलार्थी पर अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिये था। अपीलार्थी ने अपने पक्ष में हुए आवंटन एवं कब्जे को अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है । उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र नक्शे में तरमीम नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी/वादी का वाद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त की जावे।

11. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी को आवंटन के उपरान्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया परन्तु राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेश अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । अधिनस्थ न्यायालय ने बाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने दिनांक 21.5.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर उसके साथ एक पर्चा मौका जो कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 7.10.2000 को तैयार किया गया है जिसकी फोटो प्रति प्रस्तुत कर उसे रेकार्ड पर लिये अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का कथन रहा । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पर्चा मौका यद्यपि पटवारी द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के तैयार किया गया है एवं उक्त पर्चा मौका की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसे रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है परन्तु चूंकि वादग्रस्त आराजियात के संबंध में पटवारी हल्का जगपुरा द्वारा तैयार की गई है एवं उक्त दस्तावेज के फर्जी एवं कूटरचित होने की संभावना नहीं है। उक्त दस्तावेज को रेकार्ड पर लेने से न्याय तक पहूँचने में मदद ही मिलेगी। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हाजा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश दिया जा चुका है ।

14. अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी को ग्राम रायरा तहसील आसीन्द हाल बदनोर जिला भीलवाडा की साबिक आराजी नम्बर 1 (एक) रकबा 768 बीघा 18 बिस्वा किस्म बिलानाम में से वादी को 5 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 1.1.1986 को बमुकाम जगपुरा तहसील आसीन्द हाल बदनोर पर अलोटमेण्ट कमेटी द्वारा नियमानुसार आवंटन कर अपीलार्थी को आवंटित आराजी सिपुर्द की व मिशल संख्या 19/86 कायम की गई। उक्त आवंटन आदेश के आधार पर आराजी नम्बर 777/1 रकबा 5 बीघा भूमि गैर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 413 निर्णित होकर दिनांक 17.5.1993 को दर्ज किया गया तथा वक्त आवंटन से आवटित आराजी पर अपीलार्थी काबिजकाश्त चला आ रहा है। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान वादग्रस्त आराजी को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम एवं चरागाह दर्ज कर दिया गया । भू प्रबन्ध के उपरान्त अपीलार्थी को आवंटित आराजी नम्बर 1 (एक) के हाल आराजी नम्बर आराजी नम्बर 152/2037 रकबा 0.72 है0, आराजी नम्बर 132 रकबा 0.54 है0, कायम किये गये हैं।

15. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कृषि प्रयोजनार्थ भमि आवंटन आदेश प्रदर्श 1 अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार अपीलार्थी नगजी पिता देवा गुर्जर को ग्राम रायरा को खसरा नम्बर 1 मे से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया जाकर डिमाण्ड के विवरण अनुसार 2506/– नजराना राशि निर्धारित की गई है। जमाबंदी खतौनी ग्राम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रायरा पटवार क्षेत्र परासोली प्रदर्श 2 में नामान्तरकरण संख्या 413 दिनांक 17.5.1993 को आवंटन से आराजी नम्बर 777/1 रकबा 5 बीघा लगानी 1.25 नगजी आत्मज देवा गुर्जर साकिन परासोली के नाम गैर खातेदारी से दर्ज की गई है। सिपुर्दगी नामा प्रदर्श 8 के अनुसार दिनांक 3.1.86 को अपीलार्थी को आवंटित आराजी का कब्जा सिपुर्द किया गया है। अपीलार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना में डिमाण्ड राशि 2500/–रूपय चालान नम्बर 145 द्वारा दिनांक 27.1. 1993 को जमा कराई गई है ।

16. अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से बिन्दुवार जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जिमें वादी को दिनांक 1. 1.86 को आराजी नम्बर 1 में से 5 बीघा जमीन आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित किया जाना अंकित किया गया है। वादी के नाम आराजी नम्बर 777/1 रकबा 5 बीघा का गैर खातेदारी हक से नामान्तरकरण संख्या 413 दिनांक 17.5. 1993 द्वारा दर्ज कया जाना भी अंकित किया गया है। मिलान क्षेत्रफल से साबिक नम्बर 1 के नये आराजी नम्बर 152/2037 व 132 रकबा क्रमशः 0.72 व 0.54 है0 होना भी अंकित किया गया है। साबिक नक्शा ट्रेश उपलब्ध नहीं होने का अंकन किया गया है।

17. इस प्रकार अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी का आवंटन होना स्वयं प्रत्यर्थी की ओर से अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे में स्वीकार किया गया है साथ ही अपीलार्थी/वादी को आवंटित आराजी नम्बर 777/1 रकबा 5 बीघा का गैर खातेदारी हक से नामान्तरकरण संख्या 413 दिनांक 17.5.1993 द्वारा दर्ज कया जाना भी स्वीकार किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया है। मिलान क्षेत्रफल से साबिक नम्बर 1 के नये आराजी नम्बर 152/2037 व 132 रकबा क्रमशः 0.72 व 0.54 है0 बनना भी स्वीकार किया है। इस बाबत साबिक नक्शा ट्रेश उपलब्ध नहीं होने एवं बिलानाम व चरागाह पर हाल में कब्जे का कोई दस्तावेज रेकार्ड पर नहीं होने के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज किया गया है।

18. अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात का आवंटन होने के उपरान्त उस पर काबिज होकर काश्त करने के संबंध में स्वयं के बयान पी डब्ल्यू 1 के रूप में अधिनस्थ न्यायालय में लेखबद्ध कराये हैं जिसमें उसके द्वारा बयान किये गये है कि '' विवादित जमीन मुझे अलोटमेण्ट से प्राप्त हुई। जिसमें आराजी नम्बर 1 मे से 5 बीघा भूमि मौजा रायरा की सरहद में जगपुरा गांव में हुई। अलोटमेंट के बाद जमीन का कब्जा सिपुर्द किया तभी से मेरा निरन्तर कब्जा चला आ रहा है।'' गवाह पी डब्ल्यू 2 लादू आत्मज सवाई कुमावत निवासी परासोली ने भी अपने सशपथ बयान लेखबद्ध करया है कि ''नगजीराम को मैं जानता हूॅ इसकी जमीन को जानता हूॅ। नगजीराम को 5 बीघा जमीन रायरा की सरहद में अलोट हुई। इस जमीन पर 20–22 साल से नगजीराम को काश्त करते देखता आ रहा हूॅ। इस जमीन के पास मेरी जमीन होने से जानता हूॅ। इस जमीन पर बाड, डोल व मिट्टी डलवाने में लाखो रूपये खर्च किये हैं।'' इससे वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी/वादी को आवंटन होने के उपरान्त अपीलार्थी का कब्जा होने की पुष्टि होती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

19. यदि अपीलार्थी / वादी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई थी तो भूमिधारी को चाहिये था कि वह अपीलार्थी / वादी / आवंटी का आवंटन निरस्त कराने के लिए विधि अनुसार कार्यवाही करता । मात्र अपीलार्थी का मौके पर कब्जा नहीं होने का कथन कर देने से अपीलार्थी / वादी का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। नक्शा ट्रेश उपलब्ध नहीं होने का कथन भी पेरोकार सरकार द्वारा किया गया है। जब पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन होना स्वीकार किया गया है, कब्जा सिपुर्द किये जाने की पुष्टि के फलस्वरूप सिपुर्दगीनामा पत्रावली पर उपलब्ध है । अपीलार्थी द्वारा नजराना राशि जमा करा दी गई है, राजस्व रेकार्ड में भी वादग्रस्त आराजी गैर खातेदारी हक से अपीलार्थी / आवंटी के नाम दर्ज कर दी गई है। तो मात्र साबिक नक्शा ट्रेश उपलब्ध नहीं होने के आधार पर अपीलार्थी वादी का वाद खारिज नहीं किया जा सकता है।

20. अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजात, रेकार्ड एवं गवाहान के बयानों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में कोई विवेचन नहीं कर मात्र अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं साबिक नक्शा ट्रेश रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलार्थी / वादी का घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पत्र खारिज किया है । जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

21. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.6.2015 को निरस्त किया जाता है एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थी/वादी को मौजा रायरा तहसील बदनौर की हाल आराजी नम्बर 152/2037 रकबा 0.72 है0, एवं आराजी नम्बर 132 रकबा 0.54 किता 2 कुल रकबा 1.08 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 2 को पाबन्द किया जाता है कि वे अपीलार्थी/वादी की कब्जेशुदा आराजी से अपीलार्थी को बेदखल न करें एवं न अन्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप करें। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

22. निर्णय आज दिनांक 13.6.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/6/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा